भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1666
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 10 मार्च, 2025
19 फाल्गुन, 1946 (शक)

द्वारका में जल के नीचे स्थित पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण

1666. डॉ. भोला सिंह:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वारका के समुद्री तट पर जल के नीचे स्थित पुरातात्विक स्थलों के अन्वेषण के प्रमुख उद्देश्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) खोजी गई कलाकृतियों का सटीक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जा रही उन्नत प्रौद्यागिकियों और विधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में जल के नीचे स्थित सांस्कृतिक विरासत को अवैध उत्खनन और पर्यावरणीय जोखिमों से बचाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का इन स्थलों को अकादमिक अनुसंधान और विरासत पर्यटन के लिए खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) : द्वारका और बेट द्वारका के समुद्री तट पर चल रहे अंतर्जलीय पुरातात्विक अन्वेषणों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अंतर्जलीय पुरातत्व स्कंध द्वारा फरवरी 2025 में शुरू किया गया था। अंतर्जलीय पुरातात्विक सर्वेक्षण गोमती की खाड़ी के पास के क्षेत्र में किया गया था।

द्वारका में चल रहे फील्ड कार्य का उद्देश्य जलमग्न पुरातत्विक अवशेषों की खोज, प्रलेखन और अध्ययन करने के अलावा पुरातत्वविदों को प्रशिक्षण देना है। इसमें गाद, समुद्री तलछट और अंतर्जलीय पुरातात्विक खोजों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना भी शामिल है ताकि उनकी पुरातनता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) : अंतर्जलीय पुरातात्विक स्कंध द्वारा वर्तमान में किए गए फील्ड कार्यों में खोज और दस्तावेजीकरण के लिए गोता लगाने के उपकरणों, सर्वेक्षण नावों और अंतर्जलीय डिजीटल कैमरों के उपयोग करना शामिल है।

(ग) : भारत में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल, चाहे वो जमीन पर हो अथवा जल के नीचे, को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार शासित किया जाता है।

(घ) : अंतर्जलीय पुरातात्विक स्कंध द्वारा भारत के जलीय क्षेत्र में जलमग्न पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों पर किए गए अनुसंधान के परिणामस्वरूप धरोहर पर्यटन में भी वृद्धि हुई है।

*****